प्रेस विज्ञप्ति
21-07-2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर जोनल कार्यालय ने जम्मू और कश्मीर राज्य में केनरा बैंक धोखाधड़ी के मामले में 18/07/2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), श्रीनगर के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मुक्ति नाथ डोले, पूर्व शाख प्रबंधक, केनरा बैंक, इरफान मंजूर दर्जी, मेसर्स एसएमसी टूर एंड ट्रैवल्स, नई दिल्ली के शाह नवाज शाह, रफल वर्ल्ड, श्रीनगर के मोहम्मद परवेज मुगल, मेसर्स रफराफ टूर एंड ट्रैवल्स, बडगाम के मोहम्मद असरफ देव, मेसर्स सैयद टूर एंड ट्रैवल्स, श्रीनगर के सईद कौशर नियाजी, मेसर्स रईस टूर एंड ट्रैवल्स के रईस मंजूर दर्जी, मेसर्स ट्रैवल किंग के मुदासिर नजीर वानी, मेसर्स जेके मक्का ज्वैलर्स, राजौरी के इरफान राशिद खान, मेसर्स निखा ऑर्नामेंट्स, श्रीनगर के इश्फाक अहमद जरगर और मेसर्स जेके गोल्ड ज्वेलरी, राजौरी के खलील अहमद मुगल के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की शिकायत पर संज्ञान लिया है।

ईडी ने मैसूमा पुलिस स्टेशन, श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) द्वारा उपरोक्त व्यक्तियों और अन्य के खिलाफ केनरा बैंक, बुद्धशाह चौक शाखा, श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) को 5.59 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप में दर्ज एफआईआर के इनपुट पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि 2014 के दौरान, उपरोक्त आरोपियों ने 26 अन्य कर्जदारों के साथ मिलकर केनरा बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक एम एन डोले की मिलीभगत से गैर-मौजूद स्वामित्व वाली संस्थाओं के नाम पर 30 करोड़ रुपये के नकद ऋण लिए। यह जाली और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किया गया था, जिन्हें बाद में आरोपियों ने अन्य संस्थाओं/व्यक्तियों के विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से ऋण राशि को रूट करने के बाद निकाल लिया। अंततः, आरोपियों द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए धन का उपयोग करना, इस तरह की हेराफेरी उनके व्यावसायिक ऋणों के अनुमानित उद्देश्य के विपरीत थी। एम एन डोले द्वारा स्वीकृत सभी ऋण बैंक नीति के घोर उल्लंघन पर थे, जो बाद में 2016 से एनपीए बनने लगे। इससे केनरा बैंक, बुधशाह चौक, श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) द्वारा संचालित सार्वजनिक धन को (ऋण राशि और उस पर ब्याज सहित) भारी नुकसान हुआ।

जाँच के दौरान, यह भी पता चला कि इस ऋण राशि का एक बड़ा हिस्सा मुक्ति नाथ डोले, शाहनवाज़ शाह, इरफ़ान मंज़ूर दर्ज़ी और अन्य अभियुक्तों ने अपने-अपने फ़ायदे के लिए बाँट लिया। इससे पहले इस मामले में, इश्फ़ाक अहमद ज़रगर, असरफ़ देव, सैयद कौसर नियाज़ी और खलील अहमद मुग़ल की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियाँ ज़ब्त की गई थीं।

आगे की जाँच जारी है।